पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 98/2018

अनवान :

1. महावीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी गांव डुंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री राजकरण जाति जाट निवासी गांव डुंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. जगदीश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डुगरसिंहपुरा।
3. सुमित्रा पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डुगरसिंहपुरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगरसिंहपुरा के खाता सं0 66/51 के खसरा सं0 104/2 की 1.8460 है0 एवं खसरा सं0 139 की 4.8942 है0 खसरा सं0 205 की 3.8450 है0 कुल 10.5852 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी प्रतापसिह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 सुमित्रा ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2.11.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 98/2018

अनवान :

1. महावीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी गांव डुंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र श्री राजकरण जाति जाट निवासी गांव डुंगरसिंहपुरा तहसील भादरा।
2. जगदीश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डुगरसिंहपुरा।
3. सुमित्रा पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डुगरसिंहपुरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्त0अधि1955
उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा **: वादी**

निर्णय **दिनांक :** 2·11·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डुंगरसिंहपुरा के खाता सं0 66/51 के खसरा सं0 104/2 की 1.8460 है0 एवं खसरा सं0 139 की 4.8942 है0 खसरा सं0 205 की 3.8450 है0 कुल 10.5852 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की को पार्सनरी सम्पति है एवं प्रतिवादी प्रतापसिंह को अपने पिता राजकरण से विरासतन प्राप्त हुई है व प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम महज परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज है जबकि हस्तगत प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 जगदीश व सुमित्रा का प्रतिवादी प्रतापसिंह के साथ जन्म से बहिस्सा बराबर निहित है।

वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 जगदीश व सुमित्रा अपने पिता प्रतिवादी प्रतापसिंह के साथ उक्त भूमि संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादी प्रतापसिंह परिवार की बिना किसी जायज जरूरत के हस्तगत प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करने पर आमादा है और बैंक के रहन रखकर ऋण राशि प्राप्त कर भूमि को भारमुक्त करने पर आमादा है जबकि संयुक्त हिन्दु परिवार की किसी भी जायज जरूरत के लिए धानराशि की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतिवादी प्रतापसिंह वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने में कामयाब हो जाता है तो वादीगण को ना पूरा होने वाली क्षति होगी अत : वादी प्रतिवादी प्रतापसिंह को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का मजाज कानूनी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार ने जबाबदावा पेश किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

साक्ष्य वादी में वादी महावीरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डुंगरसिंहपुरा खाता सं0 66/51 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की को पार्सनरी सम्पति है एवं प्रतिवादी प्रतापसिंह को अपने पिता राजकरण से विरासतन प्राप्त हुई है वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 जगदीश व सुमित्रा का वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी प्रतापसिंह के साथ जन्म से बहिस्सा बराबर निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्धान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम डुंगरसिंहपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की को पार्सनरी सम्पति होना एवं प्रतिवादी प्रतापसिंह को अपने पिता राजकरण से विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम डुंगरसिंहपुरा खाता सं0 66/51 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है जिसमें पुर्व की प्रविष्टि वादी के पिता राजकरण वल्द गुगनराम के नाम दर्ज है व इंतकाल सं0 347 के अनुसार के फौत होने पर वाद कृषि भूमि विरासतन प्रतापसिंह व अन्य वारिसान के नाम दर्ज हुई है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एंव सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में प्रतापसिंह के वारिसान में दो पुत्र महावीरसिंह व जगदीश व एक पुत्री सुमित्रा होना व अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुंगरसिंहपुरा के खाता सं0 66/51 के खसरा सं0 104/2 की 1.8460 है0 एवं खसरा सं0 139 की 4.8942 है0 खसरा सं0 205 की 3.8450 है0 कुल 10.5852 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी प्रतापसिह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 सुमित्रा ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2.11.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़